

फर्द अहकाम

मुन्नालाल बनाम ललिता देवी कोठ
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

तयालय

ख्या 16/2/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/06/25	<p>यह वाद फज वादी डी ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने धारा 88, 53, 188 RSM के अन्तर्गत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलवी डेड प्रविक्तीगों के नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09/06/2025 को पेश होन</p>	
9/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील उपर पत्रावली पुर्विकार दिनांक 19/06/2025 को पेश हो</p>	
19/06/25	<p>पत्रावली पेश 58। वकील वादी अधिवक्ता वकील वादी 5 वादी का बाल-बाल भाषाण लगावाई गई तथा इन्तेजल सिफ्त गणना लेकिन उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन सिफ्त गणना पत्रावली का मडक धारती क मडक पेशी के त्वाटिक की जाती है। पत्रावली केवल शुभत होकर गणना कि करत है तथा बाद प्रति साबित साबित हो</p>	